पत्रांकः— वन भूमि—57 / 2021.................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची—834002

पटना—15, दिनांक........................

विषय :— गया जिलान्तर्गत 400KV D/C नार्थ कर्णपुरा—गया ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि गया जिलान्तर्गत 400KV D/C नार्थ कर्णपुरा—गया लाईन का निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव सहायक प्रबंधक, मे० नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लि०, राँची द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित परियोजना का निर्माण झारखंड राज्य के चतरा जिलान्तर्गत टनडवा अंचल ग्रिड से बिहार राज्य के गया जिलान्तर्गत बोधगया के बारा पावरग्रिड में जोड़े जाने हेतु किया जा रहा है। विषयांकित परियोजना निर्माण में 27 वृक्षों के पुर्नस्थापन प्रस्तावित है। इस प्रकार परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन सन्निहित नहीं है। ट्रांसमिशन लाईन के कोरिडोर निर्माण के क्रम में कम—से—कम वन भूमि का अपयोजन हो, इसका ध्यान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रखा गया है एवं इसे गौतम बुद्ध वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से (4 कि०मी० दूर) अलग रखा गया है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या—400 (ई०), दिनांक—31.12.1996 तथा अधिसूचना संख्या—C/F 17010/55-1550 R दिनांक—25.04.1955 एवं अधिसूचना संख्या—C/PF 10148/52-23 R दिनांक—02.01.1953 के अंतर्गत ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है। विषयांकित परियोजना में 5.4370 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है, जिसमें किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाले वृक्षों की संख्या	वानस्पतिक घनत्व
1	गया	5.4370	0	0.45
	कुल	5.4370	0	

कुल—5.4370 हे० वन भूमि अपयोजन के **विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया द्वारा** FRA, 2006 प्रमाण—पत्र लिए निर्गत नहीं किया गया है तथापि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक— 11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में उक्त FRA, 2006 प्रमाण—पत्र को सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के समय उपलब्ध कराने की शर्त के साथ प्रस्ताव स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 5.4370 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 10.8740 हे0 अर्थात 11.00 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल गया के गया प्रक्षेत्र अन्तर्गत बेला PF को चिन्हित करते हुए वृक्षारोपन का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र–II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र–III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 5.4370 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 8.03 लाख प्रति हे० के दर से रू० 43,65,911/–(तेतालिस लाख पैसठ हजार नौ सौ ग्यारह रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 5.4370 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये गया वन प्रमंडलान्तर्गत 11 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 24,71,457/–(चौबीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ सन्तावन) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–57/2021................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...............................
प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/ सहायक प्रबंधक, मे० नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लि०, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–57/2021 388 (ई)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 14/06/21
प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

14/6/21
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 5.4370 ha. forest land for construction of 400KV D/C North Karnpura-Gaya Transmission Line in Gaya District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:- 14/6/21

Place:- Patna

Signature:- (Mokhtarul Haque)

Name of Designation:-

Official Seal:- Advisor
Environment & Forest Department
Bihar, Patna